

आदेश


विशेष शाखा, बिहार के पुलिस अवर निरीक्षक(एम) से पुलिस निरीक्षक(एम) की कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक-11.07.16 को महानिदेशक पर्वद की बैठक में प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गए निम्नांकित पुलिस अवर निरीक्षक(एम) को पुलिस निरीक्षक(एम) की कोटि में औपबंधिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है। प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा:-

क्र०	पुलिस अवर निरीक्षक(एम) का नाम	जन्मतिथि	गृहजिला	टंकक स०अ०नि० (एम) के पद पर नियुक्ति की तिथि	पु०अ०नि० (एम)के पद पर प्रोन्नति की तिथि	प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	परमानन्द झा	05.01.1957	मधुबनी	07.08.1980	19.05.1983	तत्काल प्रभाव से
2	मुकेश कुमार	17.09.1959	वैशाली	22.10.1981	24.10.1983	तत्काल प्रभाव से
3	रामेश्वर चौधरी	01.02.1960	पटना	22.10.1981	12.07.1985	तत्काल प्रभाव से
4	दिनेश किशोर	22.02.1960	छपरा	22.10.1981	24.10.1983	तत्काल प्रभाव से
5	नरेश चौधरी	13.06.1962	पटना	22.10.1981	12.07.1985	तत्काल प्रभाव से
6	जय प्रकाश साहू	10.01.1958	पटना	26.10.1981	27.10.1983	तत्काल प्रभाव से
7	लक्ष्मण कुमार सिंह	05.01.1958	पटना	26.11.1981	28.11.1983	तत्काल प्रभाव से
8	कौशल किशोर प्रसाद	06.02.1961	पटना	28.11.1981	29.11.1983	तत्काल प्रभाव से
9	प्रदीप कुमार सिंह	23.03.1959	पटना	05.05.1982	07.05.1984	तत्काल प्रभाव से

यह प्रोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

- नव प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक(एम) के विरुद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरुद्ध फौजदारी/अपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलों में प्रक्षेत्रादेश/क्षेत्रादेश/जिलादेश रोककर पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाएगा।
- यदि नव प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक(एम) के सेवा अभिलेख में कोई त्रुटि पाई जायेगी तो आदेश को तदनुसार संशोधित/रद्द किया जायेगा।
- यदि किसी वरीय पुलिस अवर निरीक्षक(एम) का मामला पुलिस निरीक्षक(एम) की कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में इस प्रोन्नत्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा रिक्ति के अनुसार कनीय को अवर निरीक्षक(एम) के पद पर प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
- यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,


 12-8-16
 पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
 बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2364 / पी-1


04-09-16-2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 12-8-16

प्रतिलिपि:-

- अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा/ पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक(अ०), विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


 12-8-16
 पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
 बिहार, पटना।